सख्या:-41/2024/आई526576/001-223आ0/23-5002-002-26-2024
(कम्प्यूटर सं0-1802057)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, उन्नाव व प्रतापगढ़ के 05 कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-8129/CE-BLD/PULDHOUS/PRJ/2023-24, दिनांक 19.03.2024, सं0-8074/CE-BLD/BUILD(NEW)/MRT/2023-24, दिनांक 16.03.2024, सं0-8052/CE-BLD/INS/VNS/2023-24, दिनांक 15.03.2024, सं0-8050/CE-BLD/INS/LKO/2023-24, दिनांक 15.03.2024 एवं 7928/CE-BLD/PULDHOUS/PRJ/2023-24, दिनांक 07.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, उन्नाव व प्रतापगढ़ के 05 कार्यों हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष देयता में से **रू0 178.51 लाख(रू0 एक करोड़ अठहत्तर लाख इक्यावन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजना वार स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में समर्पित धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(धनराशि लाख रू0 में)			
1	37/2021/334आ0/23-5-20-03(भवन)/2020टीसी-2, दिनांक 24.04.2021 एवं 03/2023/001-236आ0/23-5-22-09-भवन-2018टीसी, दिनांक 06.01.2023	फतेहपुर की तहसील खागा स्थित निरीक्षण भवन में अतिरिक्त 04 सूट का निर्माण कार्य।	100.17	00.20	99.97	95.00	41.69	46.66	46.66
2	100/2023-001-109आ0-23-5-23-10(भवन)/2023, दिनांक 31.03.2023 एवं 06/2024/आई476634/001-23आ0-23-5002-002-71-2023, दिनांक 19.01.2024	गाजियाबाद में निरीक्षण भवन लो0नि0वि0 गाजियाबाद के कक्ष सं0-1 से 08 एवं 02 नं0 विभागीय कक्षों के जीर्णोद्धार का कार्य।	105.45	01.09	104.36	27.00	0.00	77.36	77.36
3	113/2021/आई/103987/2021/192आ0/23-5-21-	वाराणसी में सर्किट हाउस परिसर में स्थित 06 सूट के	373.67	11.34	362.33	343.65	0.00	18.68	18.68

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	14(भवन)/2021, दिनांक 05.10.2021 एवं 71/2022/82आ0/23-5-22-14 (भवन)/2021, दिनांक 13.10.2022 एवं 36/2023/001-60आ0/23-5-23-14(भवन)/2021, दिनांक 22.02.2023	ऊपर अतिरिक्त तल का निर्माण कार्य।						
4	35/2020/11आ0/23-5-20-3 (भवन)/2020, दि0 31.03.2020 एवं 21/2021/496आ0/23-5-20-03 (भवन)/2020, दिनांक 29.01.2021 एवं 85/2022/001-184आ0-23-5-22 -09(भवन)/2018,दि0 18.11.2022	उन्नाव में सफीपुर स्थित निरीक्षण भवन में 02 नये सूट का निर्माण कार्य।	116.29	0.78	115.51	109.70	0.00	05.81	05.81
5	03/2021/424आ0/23-5-20-02(भवन) /2018, दिनांक 08.01.2021	प्रतापगढ़ के रानीगंज स्थित माँ0 बाराही देवी धाम प्रतापगढ़ में निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य।	187.31	00.05	187.26	177.29	158.43	168.40	30.00
			योग :-					**316.91**	**178.51**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दि0 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 1,78,51,000(रूपये एक करोड़ अठहत्तर लाख इक्यावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान

..../02..

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059800512100 निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों का जीर्णोद्धार/निर्माण(चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-41/2024/आई526576/001/223आ0(1)/23-5-2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी फतेहपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, उन्नाव व प्रतापगढ़।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फतेहपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, उन्नाव व प्रतापगढ़।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता,प्रयागराजक्षेत्र,मेरठ क्षेत्र,वाराणसी क्षेत्र, लखनऊ क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़।
13- अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत्त, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर ।
14- अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी वृत्त, लो0नि0वि0, वाराणसी ।
15- अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त लो0नि0वि0, उन्नाव ।
16- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, फतेहपुर।
17- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गाजियाबाद ।
18- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, वाराणसी।
19- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, उन्नाव।
20- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़।
21- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।